

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- बरदहपुलिस मुठभेड़ में चार वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 02 देशी पिस्टल, 01 तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस व 02 मोटरसाइकिल भी बरामद

दि० 27-06-21 को ग्राम बौवापार में नाली के विवाद को लेकर हुई हत्या के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 141/21 धारा 147/148/149/452/307/302 भा०द०वि० व 7 CLA ACT पंजीकृत हुआ कर, विवेचना प्र०नि० श्री विनय कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही थी। दौरान विवेचना अभि०गण 1- राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह सा० सादीपुर थाना बरदह आजमगढ़ 2-सुजीत सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह सा० इरनी थाना बरदह आजमगढ़ 3- शुभम राय पुत्र देवदत्त राय सा० बीकापुर थाना बरदह आजमगढ़ व 2-3 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन में अपराध जगत में अंकुश लगाये जाने व वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 04.07.21 को प्र०नि० विनय कुमार मिश्रा मय राह उ०नि० माखन सिंह प्र० चौकी ठेकमा थाना बरदह आजमगढ़ मय राह हे०का० योगेन्द्र यादव के चौकी ठेकमा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था व रात्रिगस्त करते हुए ए ग्राम बौवापार आये। ग्राम बौवापार में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में नियुक्त हे०का० नरेन्द्रनाथ मिश्रा तथा रि०का० आदेश यादव को भी राह लेकर पतारसी सुरागरसी व तलाश वांछित अपराधी करता हुआ सरायमोहन तिराहे पर आये। इसी दौरान सेकेण्ड मोबाइल से उ०नि० श्री राजबहादुर यादव मय अपने राह का० आदित्य मिश्रा व का० राजू यादव Hg मो० अबरार के उपस्थित आये, लोग आपस में अपराध एवं अपराधियों के संबंध में बात चीत कर रहे थे कि उसी समय उ०नि० श्री शमशाद अली मय राह का० राजेन्द्र कुशवाहा के रात्रिगस्त करते हुए बक्सपुर की तरफ से आ गये और सभी एक दूसरे से बात चीत कर ही रहे थे कि मुखबिर ने आकर बताया कि ग्राम बौवापार वाली हत्या में शामिल 04 बदमाश दो मोटर साइकिलों से बीकापुर की तरफ से आ रहे हैं जिनके असलहा भी है बहुत ही शातिर किस्म के बदमाश है टूटे हुए गुजरा पुल पर सकरा रास्ता है जल्दी किया जाय तो घेरा बन्दी करके वहां पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके सभी अधिकारी /कर्मचारीगणों को मकसद बताकर मुखबिर को साथ लेकर बताये स्थान की तरफ तत्काल रवाना हुए और टूटे हुए **गुजरा पुल पर** आ गये। सूनसान जगह है, आता जाता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उ०नि० द्वारा पुलिस के सरकारी व प्राइवेट वाहनो को पुल से कुछ दूरी पर खड़ा करके दो टीम तैयार की गई, प्रथम टीम में **उ०नि० माखन सिंह व उ०नि० शमशाद अली, हे०का० योगेन्द्र यादव, हे०का० नरेन्द्र नाथ मिश्रा, रि०का० आदेश यादव तथा द्वितीय टीम में राजबहादुर यादव, का० आदित्य मिश्रा, का० राजू यादव व का० राजेन्द्र कुशवाहा** को लगाया गया। प्रथम टीम पुल के पूरब तरफ तथा दूसरी टीम पुल के पश्चिम तरफ लगाई गई इसी दौरान बक्सपुर की तरफ से दो मोटर साइकिलों की हेड लाइट आती हुई दिखाई दी। थोड़ी दूर से ही देखकर मुखबिर ने बताया कि साहब इन्ही मोटर साइकिलों पर वही बदमाश हो सकते हैं ऐसा बताकर वह पीछे चला गया इस पर दोनो टीमों द्वारा सतर्क होकर घात लगा ली गई, जैसे ही यह दोनो मोटर साइकिले द्वितीय पुलिस टीम के समीप पहुंची तो पुलिस टीम द्वारा इनको रोकने का इशारा किया गया तो एकदम जोर से आवाज आई कि गोली मारो सालो को ये पुलिस वाले हैं। इतने में दो बदमाशों द्वारा दोनो पुलिस पार्टियों पर जान से मारने की नियति से निशाना साध कर एक-एक फायर किया गया कि पुलिस वाले सिखलाए हुए तरीके से बाल बाल बच गये तथा दोनो टीमों द्वारा पुल के दोनो तरफ से घेराबंदी करके दोनो मोटर साइकिलों पर सवार दो दो व्यक्तियों को मोटर साइकिलों पर ही पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो सफेद मो०सा० अपाचे बिना नम्बर के चालक ने अपना नाम **सुजीत सिंह s/o त्रिभुवन सिंह r/o इरनी psबरदह आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष** बताया। इसकी जामा तलाशी से पहनी लोवर की बाईं फेट में खुसा हुआ एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल लोहा करीब 10 अंगुल, नाल पर निशाना लगाने घुण्डी लगी है, बाडी करीब 06 अंगुल लोहे की जो दोनो तरफ एल्यूमिनियम की चाप से कसी है, तथा नाल खोलने व बन्द करने के लिए खटका लगा है। नीचे ट्रेगर व ट्रेगरगार्ड लगा है, ऊपर हैमर लगा है। बट करीब 05 अंगुल लोहे का जिस पर दोनो तरफ लकड़ी लगी हुई है नाल खोल कर देखा गया तो नाल में एक **अदद जिन्दा कारतूस पीतल का जिस पर KF लिखा है बरामद हुआ।** कारतूस को अलग किया गया तथा पहनी लोवर की दाहिनी जेब से **150/- रूपये** एक सौ का एक पचास का नोट बरामद हुआ तथा इसी मो०सा० पर पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना **नाम आशीष तिवारी S/O सत्यशील तिवारी R/O बौवापार PS बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष** बताया जिसकी जमा तलाशी से दाहिने हाथ में लिया हुआ एक देशी पिस्टल 32 बोर जिसकी नाल लोहे की करीब 06 अंगुल, स्लाइड सिस्टम से जुड़ी हुई है, ट्रेगर व ट्रेगर तथा बाई साइड में लाक सिस्टम तथा ऊपर हैमर लगा है बट गजीन करीब 05 अंगुल जो दोनो तरफ से माइका से कसी हुई है। गजीन लगी है। लाक लगा है तथा डोरी डालने के लिए रिंग लगी है पिस्टल का चैम्बर देखा गया तो एक जिन्दा कारतूस जिस पर **KF लिखा है चैम्बर में है कारतूस को अलग किया गया।** नाल सूँघ कर देखा गया तो ताजे फायर होने के बारूद की गंध आ रही है इसकी पहनी जीन्स की पैन्ट की दाहिनी जेब **से 200/- रूपये 100-100** के दो नोट बरामद हुए इनकी मो०सा० अपाचे सफेद रंग पर नम्बर प्लेट नहीं लगी है टार्च की रोशनी में देखा गया तो चेचिस नं० 634KL65E2H57736 तथा इंजिन नं० OE6HE2044390 अंकित है। तथा दूसरी मो०सा० पर बैठे चालक से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम **आजाद सिंह S/O रामकेर सिंह R/O सादीपुर PS बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष** बताया जामा तलाशी ली गई तो पहने हुए लोवर के दाहिनी जेब से **100-100 के दो नोट कुल 200/- रूपये** मिले तथा इसी मो०सा० पर पीछे बैठे

व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम **शुभम राय S/O देवदत्त राय R/O बीकापुर PS बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष** बताया जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकड़े हुए एक अदद **पिस्टल 32 बोर जिसकी** नाल करीब 6 अंगुल लोहे की स्लाइड सिस्टम में फीड है ट्रेगर, ट्रेगर गार्ड लगा है लाक सिस्टम लगा है, हैमर लगा है बट करीब 05 अंगुल लोहे का जो दोनो तरफ माइका से कसी हुई है। गजीन लगी है एवं गजीन लाक लगा हुआ है पिस्टल का चैम्बर देखा गया तो एक अदद जिन्दा कारतूस चैम्बर में है, जिसे अलग किया गया। कारतूस 32 बोर पीतल का जिस पर **KF** लिखा हुआ है तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक **200 तथा 50 का नोट कुल 250** /- रूपये बरामद हुए। पिस्टल की नाल को सूँघ कर देखा तो ताजे फायर होने के बारूद की गंध आ रही है। इनकी बरामद अपाचे मो0सा0 सफेद रंग बिना नम्बर की टार्च की रोशनी में देखा गया तो इसका चेचिस नं0 **MD634KE47G2G80269** तथा इंजिन नं0 **OE4GG2027467** अंकित है बरामदशुदा उपरोक्त सभी असलहे चालू हालत में हैं बरामदशुदा असलहों व कारतूस तथा दोनो मोटर साइकिलों के कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सके अभियुक्तगणों का यह कृत्य अन्तर्गत का दण्डनीय अपराध है अतः अभियुक्तों के उनके अपराध का बोध कराते हुए समय 04.00 बजे दिनांक 05.07.21 को हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा नियमानुसार वास्ते पेश करने माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अपराध का तरीका- अभि0गणो द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी को गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से फायर करना

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 144/21 धारा 307,504,506 भादवि तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-मु0अ0सं0 141/21 धारा 147/148/149/452/307/302 भा0द0वि0 व 7 cla act

अभि0 -शुभम राय S/O देवदत्त राय R/O बीकापुर PS बरदह आजमगढ़

1-मु0अ0सं0 132/15 धारा 147/148/149/352/504/506/436/427 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT बरदह आजमगढ़

2-मु0अ0सं0341/15 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा एक्ट बरदह आजमगढ़

3- मु0अ0सं0 304/15 धारा 110जी द0प्र0सं0 बरदह आजमगढ़

4-मु0अ0सं0 60/21 धारा 506 भा0द0वि0बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुजीत सिंह s/o त्रिभुवन सिंह r/o इरनी psबरदह आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष
2. आशीष तिवारी S/O सत्यशील तिवारी R/O बौवापार PS बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
3. आजाद सिंह S/O रामकेर सिंह R/O सादीपुर PS बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बताया
4. शुभम राय S/O देवदत्त राय R/O बीकापुर PS बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

- 1- 02 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कार0 32 बोर
- 2- एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कार0 315 बोर प्लास्टिक के डिब्बे में
- 3- दो अदद अपाची मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 विनय कुमार मिश्रा , उ0नि0 माखन सिंह व उ0नि0 शमशाद अली, उ0नि0 राजबहादुर यादव, थाना बरदह आजमगढ़
- 2- हे0का0 योगेन्द्र यादव, हे0का0 नरेन्द्र नाथ मिश्रा, रि0का0 आदेश यादव, थाना बरदह आजमगढ़
- 3- का0 आदित्य मिश्रा, का0 राजू यादव, का0 राजेन्द्र कुशवाहा व हो0गा0 मो0 अबरार अदद थाना बरदह आजमगढ़

थाना पवई

गैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह मय पुलिस फोर्स थाना पवई जनपद आजमगढ़ के साथ अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व दबिश के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्र में मामूर था कि अभियुक्त अनीश अंसारी पुत्र मल्लू अंसारी ग्राम बहरौली थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर जो मु0अ0सं0 134/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का वांछित अभियुक्त था जो विगत 13 माह से लगातार फरार चल रहा था आज दिनांक 05.07.2021 को समय 11.40 AM पर कलान चौरहा थाना पवई अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया जिसके ऊपर पूर्व में थाना फूलपुर में गोवध से सम्बन्धित मु0अ0सं0 279/19 धारा 34 ,307,336 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत था जिसमें कुल 13 अभियुक्त थे पूर्व में 12 अभियुक्त / हाजिर अदालत हो गये थे उपरोक्त अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था जिसको आज गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0134/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैरेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0134/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैरेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 279/19 धारा 34 ,307,336 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुकुरता अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त / अभियुक्ता –

1. अनीश अंसारी पुत्र मल्लू अंसारी ग्राम बहरौली थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर

पुलिस टीम –

1. श्री बृजेश सिंह थानाध्यक्ष पवई आजमगढ़
2. हे0का0 संजय यादव थाना-पवई, आजमगढ़ ।
3. का0 कृष्णा कुमार थाना-पवई, आजमगढ़ ।
4. का0 संजीव यादव थाना-पवई, आजमगढ़ ।
5. का0 पिन्टू कुमार थाना-पवई, आजमगढ़ ।
6. म0का0 अंजली सिंह थाना-पवई, आजमगढ़ ।